



केन्द्रीय शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर के आयुक्त का  
कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL TAX,  
CENTRAL EXCISE & SERVICE TAX

मेडचल आयुक्तालय MEDCHAL COMMISSIONERATE

मेडचल जीएसटी भवन, 11-4-649/B, लकड़ी-का-पूल,

MEDCHAL GST BHAVAN, 11-4-649/B, Lakdikapul,

हैदराबाद-500 004 HYDERABAD – 500 004

Email: [cgst.mdclcommr@gov.in](mailto:cgst.mdclcommr@gov.in) Ph: 040-24303013



IS 15700 : 2005 Certified Commissionerate

प.संख्या C.No. IV/16/01/2019-Tech

दिनांक Date: 08.01.2019

**व्यापार सुविधा Trade Facility No. 04/2019-GST**

दिनांक : परिपत्रों एवं अधिसूचनाओं का सम्प्रेषण-संबंधित

Sub: Communication of Circulars and Notifications - Reg

\*\* \*\* \*

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के निम्नलिखित सूचीबद्ध परिपत्र एवं अधिसूचनाएं सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एतद संलग्न हैं।

The copies of the CBIC Circulars and Notifications tabulated below are enclosed herewith for information, guidance and necessary action.

क्र. सं. S1 No	परिपत्र / अधिसूचना सं. / दिनांक Circular/Notification No./Date	विषय Subject
1	अधिसूचना 67/2018-केन्द्रीय कर दिनांक 31 दिसंबर, 2018 Notification No. 67/2018 - Central Tax dated 31st December, 2018	ऐसे करदाता जिन्हें अनंतिम पहचान-पत्र प्राप्त हुए, परंतु वे स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाए उनके स्थानांतरण हेतु विशिष्ट प्रक्रिया उपलब्ध कराने के लिए अधिसूचना संख्या 31/2018-CT में विनिर्दिष्ट समयावधि को बढ़ाने के लिए जानकारी प्राप्त करने हेतु, Seeks to extend the time period specified in notification No. 31/2018-CT dated 06.08.2018 for availing the special procedure for completing migration of taxpayers who received provisional IDs but could not complete the migration process.
2	परिपत्र 87/06/201-जीएसटी दिनांक 2 जनवरी, 2019 Circular No. 87/06/2019-GST dated 2nd January, 2019	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 - केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140(1) के संबंध में स्पष्टीकरण - संबंधित Central Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2018 -

	Clarification regarding section 140(1) of the CGST Act, 2017-reg.
--	---

2. सभी व्यापार संगठनों से, इस व्यापार सुविधा की विषय-वस्तु को सभी संबंधितों को सूचित करने का अनुरोध किया जाता है।

All the Trade Associations are requested to bring the contents of the Trade Facility to all concerned.

अनु: संलग्नक  
Encl: Annexure

एम. श्रीनिवास 8/01/19  
(एम. श्रीनिवास M.Srinivas)  
प्रधान आयुक्त  
PRINCIPAL COMMISSIONER

प्रति प्रस्तुत Copy submitted to:

मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय कर एवं सेवा कर, हैदराबाद क्षेत्र

The Chief Commissioner of Customs, Central Tax, Central Excise and Service Tax, Hyderabad Zone.

प्रतिलिपि Copy to:

1. तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फेडरेशन, फेडरेशन हाउस, 11-6-841, रेड हिल्स, हैदराबाद-500004  
The Federation of Telangana & Andhra Pradesh Chamber of Commerce and Industry, Federation House, 11-6-841, Red Hills, Hyderabad - 500004.
2. संयुक्त आयुक्त, मुख्य आयुक्त कार्यालय - क्षेत्रीय वेब-साइट पर उपरोक्त विवरण का अद्यतन करने के अनुरोध सहित  
The Joint Commissioner, CCO, with a request to get the details updated on the Zonal Website as per the above details.
3. उप/सहायक आयुक्त, मेडचल, मल्काजगिरी, जिडीमेट्ला, कुकटपल्ली, संगारेड्डी, करीमनगर, निजामाबाद, मंचेरियाल मण्डल।  
The Deputy/Assistant Commissioner, Medchal, Malkajgiri, Jeedimetla, Kukatpally, Sangareddy, Karimnagar, Nizamabad, Mancheria Divisions.
4. अधीक्षक (कम्प्यूटर) को आधिकारिक वेबसाइट <http://cexhyd1.nic.in/> पर उपलोड करने हेतु  
Superintendent (Computers) for uploading on official website <http://cexhyd1.nic.in/>.
5. वितरण सूची के अनुसार /As per Distribution list.